भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2594

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

संवर्धित चावल बीज का प्रसंस्करण

2594. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संवर्धित चावल बीज के प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनियों का रिकार्ड रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एफ.आर.के. के लिए गुणवत्ता को विनियमित करती है और इस पर निगरानी रखती है, यदि हां, तो मौजूदा गुणवत्ता मानकों और नियंत्रण तंत्र क्या है;

(ग) एफ.आर.के. के उत्पादों की पात्रता तय करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड तय किए है; और

(घ) एफ.आर.के. को आमजन के लिए सुलभ बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और ऑफ लाइन और ऑन लाइन, दोनों तरह के वितरण पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) के विनिर्माण में शामिल कंपनियों के रिकॉर्ड रखता है। विवरण अनुबंध में संलग्न हैं।

(ख): जी हां। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) के गुणवत्ता नियंत्रण को विनियमित और इस पर निगरानी करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- एफएसएसएआई ने एफआरके को उच्च जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है। इसमें सभी एफआरके विनिर्माताओं के लाइसेंस-पूर्व निरीक्षण के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त एफआरके विनिर्माताओं के लिए वर्ष में एक बार तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट अनिवार्य है।

- एफएसएसएआई ने एफआरके और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की तैयारी के लिए विटामिन-मिनरल प्रीमिक्स हेतु मानकों को अधिसूचित किया है।
- एफआरके और एफआरके के लिए प्रीमिक्स में फोर्टीफिकेंट्स (आयरन, फोलिक एसिड और बी 12) के परीक्षण के लिए मानकीकृत तरीके विकसित किए गए हैं।
- एफआरके के नमूने लेने तथा एफआरके के लिए प्रीमिक्स पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।
- एफएसएसएआई ने एफआरके के प्रत्येक बैच का परीक्षण अनिवार्य कर दिया है और ऐसी परीक्षण रिपोर्टों को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) पोर्टल पर अपलोड करना तथा एफआरके और एफआरके के लिए प्रीमिक्स की परीक्षण रिपोर्टों पर आयरन के स्रोत का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।
- प्रीमिक्स के निर्माण से लेकर फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन तक चावल के फोर्टिफिकेशन की ट्रेसेबिलिटी के उद्देश्य के लिए एक समर्पित पोर्टल, फॉरट्रेस (फोर्टिफाइड राइस ट्रैसेबिलिटी) शुरू किया गया है।
- एफएसएसएआई नियमित रूप से एफआरके और एफआरके हेतु प्रीमिक्स में फोर्टिफ़िकेंट्स (आयरन, विटामिन बी9 और विटामिन बी12) का विश्लेषण करने की क्षमता रखने वाली प्रयोगशालाओं की सूची जारी करता है ताकि परिणामों में विसंगतियों और भिन्नता को कम किया जा सके। इस सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। वर्तमान में, एफआरके के लिए 29 प्रयोगशालाएँ और प्रीमिक्स के लिए 11 प्रयोगशालाएँ हैं और एफआरके के लिए 3 रेफरल प्रयोगशालाएँ और प्रीमिक्स के लिए 2 रेफरल प्रयोगशालाएँ हैं।
- एफएसएसएआई ने छोटे विनिर्माताओं को पंजीकरण प्राप्त करने से रोक दिया और अधिक से अधिक अनुपालन और प्रलेखीकरण सुनिश्चित करने के लिए केवल एफआरके के विनिर्माण के लिए लाइसेंस की अनुमति दी है।
- राज्य/केन्द्रीय स्तर पर नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में नियमित अंतराल पर खाद्य व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं तथा एफआरके सहित खाद्य उत्पादों के नमूने लेते हैं।

(ग): एफआरके के विनिर्माताओं/उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियमन, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-II के तहत यथा निर्दिष्ट, परिसर की सफाई और स्वच्छता की परिस्थिति का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(घ): फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के लिए उप विनियमन 2.4.6 (24सी) के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अनुसार "फोर्टिफाइड चावल कर्नेल को केवल फोर्टिफाइड चावल के विनिर्माण के लिए औद्योगिक उद्देश्य हेतु बेचा जाएगा और इसे न तो इसे खुले रूप में और न ही सीधे उपभोक्ता को बेचा जाएगा।" इसलिए, एफआरके आमजन को सीधे उपभोग के लिए वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है।

*****

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2594 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के सक्रिय विनिर्माताओं का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	केंद्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस
आंध्र प्रदेश	6	6
असम	2	8
बिहार	13	18
छत्तीसगढ़	85	69
दिल्ली	2	2
गुजरात	7	1
हरियाणा	38	3
जम्मू एवं कश्मीर	8	0
झारखंड	6	1
मध्य प्रदेश	16	26
महाराष्ट्र	6	6
ओड़िशा	31	4
पंजाब	162	43
राजस्थान	7	3
तमिलनाडु	4	110
तेलंगाना	19	16
उत्तर प्रदेश	36	25
उत्तराखंड	2	0
पश्चिम बंगाल	22	25
हिमाचल प्रदेश	0	1
कर्नाटक	0	7
केरल	0	2
कुल	**472**	**376**

*****